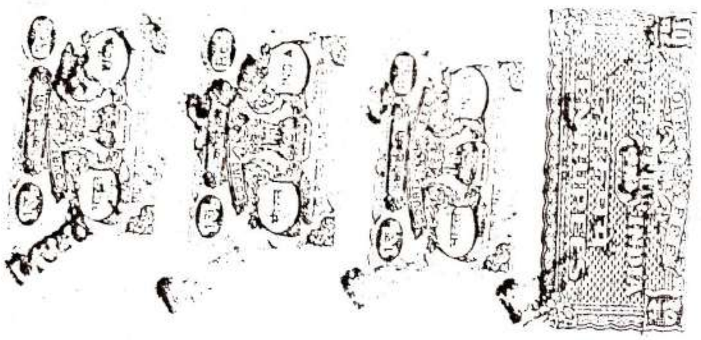

4.00
13.00

1046
25757

नकल कोर्ट डिक्री दिनांक 21/5/01 द्वारा पारित अतिरिक्त सिविल जज लखनऊ बाबत वाद संख्या 1940/08 नं० बनाम - 143 ZALRA स्वरूप चन्द्र रामजीलाल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम उ०प्र० सरकार ग्राम कोनौरा पर० तह० व जिला लखनऊ ——— × ———

— । सत्यापित छायाप्रति संलग्न है प्रयोगोपरान्त फोलियो निरस्त —

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर(प्र0श्रे0), सदर, लखनऊ।

वाद सं0– 191/08–09
रूपचन्द रामजीलाल एजुकेशनल ट्रस्ट
बनाम उ0प्र0 सरकार।
धारा–143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम– अनौरा, परगना,
तहसील व जिला लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही रूपचन्द रामजीलाल एजुकेशनल ट्रस्ट कार्यालय 101, गोयल पैलेस, संजय गांधी पुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 रामजीलाल अग्रवाल निवासी 122/08 फैजाबाद रोड, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी खसरा संख्या 738 रकबा 0.791 हे0 स्थित ग्राम– अनौरा के दर्ज खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि के चारो तरफ आठ फुट ऊची बाउन्ड्री बन चुकी है तथा विद्यालय का निर्माण कार्य त्वरित गति से चल रहा है। उक्त भूमि पर कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नही हो रहा हैं भूमि का प्रयोग व्यवसायिक रूप मे हो रहा है। अंत में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषिक घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 15.05.2009 में यह कहा है कि ग्राम अनौरा गाटा संख्या 738 रकबा 0.791 हे0 प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उपरोक्त भूमि नम्बर में चारो तरफ आठ फुट ऊची चहरदीवारी बनी हुई है तथा अन्दर विद्यालय का निर्माण हो रहा है। कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, वृक्षारोपण आदि नहीं किया जा रहा है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नही है। लखनऊ महायोजना 2021 में उक्त भूमि का भू–उपयोग कृषि दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार नियमानुसार शुल्क जमा करा कर निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। गैर कृषिक प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं

1046
25/5/09

तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नही किया जा रहा है वल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप मे किया जा रहा है। ऐसी दशा मे मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 15.05.2009 की पुष्टि की जाती है। तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 15.05.2009 आदेश का अंग होगा। तदनुसार ग्राम – अनौरा, परगना, तह0 व जिला लखनऊ की खसरा संख्या 736 रकबा 0.791 हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 21/5/09 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उप जिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर(प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

25/5/09
25/5/09
26/5/09
13.00
150 अंगभग (डाक प्रतिलिपि)

प्रतिलिपि कर्ता: (हस्ताक्षर)
तुलनाकर्ता: (हस्ताक्षर)
तिथि: 25/5/09

प्रमाणित प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 25/5/09

उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, लखनऊ

महोदय,

कृपया संलग्न श्री [illegible] पुत्र [illegible] निवासी [illegible] के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम (नियम-135) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में आख्या निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जाँच बिन्दु	उत्तर
1.	आराजी की खाता संख्या, गाटा संख्या, रकबा व भू-राजस्व। [illegible]	खाता संख्या 131 रकबा 0.791 गाटा संख्या 238 भू-राजस्व 6.20
2.	[illegible]	[illegible]
3.	कितने क्षेत्रफल पर निर्माण है तथा उसकी मालगुजारी क्या है?	[illegible] मालगुजारी 6.20 [illegible] विद्यालय चल रहा है। क्षेत्रफल 0.791 है। [illegible]
4.	1359 फ0 के खसरे में दर्ज काश्तकार का नाम, पिता का नाम, जाति (खसरे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हो।)	अभिलेखागार में 1359 फ0 का खसरा उपलब्ध नहीं है। प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5.	जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में दर्ज काश्तकार (प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हो।)	ठाकुर पुत्र मोहनलाल ग्रामवासी
6.	वर्तमान में प्रश्नगत भूमि की मौके पर स्थिति/स्वरुप क्या है, आबादी बनी है या नहीं?	आबादी, विद्यालय बन रहा है।
7.	विगत तीन वर्षों के खसरे में भूमि पर कृषि होना दर्ज है या नहीं?	वर्तमान समय में खेती नहीं होती है।
8.	वर्तमान खसरे में भूमि पर क्या स्वरुप दर्ज है?	अकृषिक
9.	मालगुजारी अब तक जमा है या नहीं? प्रमाण स्वरुप रसीद लगायें।	मालगुजारी से मुक्त
10.	भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है या नहीं?	नहीं
11.	लखनऊ महायोजना 2021 में भूमि का भू उपयोग क्या दर्ज है?	कृषि
12.	क्या निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गयी है? यदि हाँ तो नियम -135 (6) के अनुसार क्या शुल्क जमा है? यदि हाँ तो चालान संख्या व धनराशि	हाँ G-23 500/-
13.	प्लाटिंग के स्वीकृत मानचित्र की प्रति संलग्न करायें।	—
14.	क्या निर्माण उसी भाग में हुआ है जिसके लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 143 किया गया है।	हाँ
15.	गैर के प्रयोजन घोषित करने के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है अथवा नहीं।	संस्तुति की जाती है।

[illegible] 10/5/09 [illegible] 10-5-09 [illegible] 15/5

प्रारूप

उ०प्र० जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत आवासीय/औद्योगिक घोषित की जाने वाली ग्राम का नाम परगना व तहसील व जिला लखनऊ। ग्राम– अनौरा पर० व तह० व जिला लखनऊ

क्रमांक	आवेदक का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	खतौनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते के क्षेत्रफल — क गाटा संख्या	ख क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है।	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	श्री रामचन्द्र राम जी कास्ट इन्टरनेशनल द्वारा चार्म० 1 से 01 गोमल वैलेन्स निवास गोमती पुल पै... रोड लखनऊ द्वारा इस्का ... कुमार अग्रवाल नि. 122/0 ... लखनऊ	131	0.791 है	60 र	738	0.791 है	मैं देखा ग्राम अनौरा प० व तह० लखनऊ में अभिलेखों में खाता सं. 131 पर श्री रामचन्द्र राम जी कास्ट इन्टरनेशनल ... गोमल वैलेन्स ... गोमती पुल ... रोड लखनऊ के नाम ... नम्बर 738 क्षेत्र. 0.791 है. दर्ज है। उक्त ... पर 10 फुट ऊँची चहारदीवारी बनी हुई है ... विद्यालय का निर्माण हो रहा है। कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अतः उक्त भूमि में कृषि कार्य, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन ... नहीं किया जाता है। आवासीय/औद्योगिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित। [हस्ताक्षर] 10/5/09 [हस्ताक्षर] रा०नि० 10-5-09	